...ालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

2/10/17 तारीख रजू........................

समन्दर बनाम नानगी

...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...117	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रा० पत्र 39/1,2 प्रार्थी के वकील ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रा० पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब पेश होने तक पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नं. 111, 182, 183, 185, 118, 226, 207, 211, 43 वाके ग्राम बड़ीका तह० कठूमर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 25/10/17 को पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को वाद के निर्णय तक जारी कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 25/10/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहलकार की ता...
6/10/23	पत्रावली उपस्थित [illegible] 24/1, व 24/2 की ओर से गिरधारी लाल शर्मा ESO ने [illegible] पेश किया शा०मि० किया गया। [illegible] नं० 2, 26/3, 26/5, 26/6, 26/7, [illegible] प्रति० [illegible] सूचना के उप० नहीं आये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते बहस [illegible] अंतिम दिनांक 9/10/23 को पेश हो। SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
9/10/23	पत्रावली उपस्थित पत्रावली पर बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 13/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
13/10/2023	पत्रावली उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पर [illegible] साबित ना होने से कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली पर जारी स्टे व आदेश दिनांक [illegible] वेकेट किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद तकमील मूल वाद के साथ [illegible] दाखिल दफ्तर हो। SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिगोंनिया आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/201/2017

वउनवान

1. समन्दर पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी बडीका तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायल

बनाम

1. नानगी पत्नी मगतू जाति जाट
2. राजो पुत्री हुकमचन्द जाति जाट
3. राजवीर पुत्र हुकमचन्द जाति जाट
4. भोजराम पुत्र हुकमचन्द जाति जाट
5. वीरेन्द्र पुत्र हुकमचन्द जाति जाट
6. भगवानसिंह पुत्र सांवल जाति जाट
7. नवलसिंह पुत्र सांवल जाति जाट
8. जीतेन्द्रसिंह पुत्र रामचरण जाति जाट
9. दरबसिंह पुत्र रामचरण जाति जाट
10. पुरूषोत्तम पुत्र रामचरण जाति जाट
11. तेजसिंह पुत्र सूखा जाति जाट
12. बहादुर पुत्र हीरा जाति जाट
13. विशम्बर पुत्र हीरा जाति जाट
14. दशरथ पुत्र हीरा जाति जाट
15. जावित्री पुत्री हीरा जाति जाट
16. सावित्री पुत्र हीरा जाति जाट
17. बच्चू पुत्र कल्ला जाति जाट
18. यशवीर पुत्र कल्ला जाति जाट
19. गुरूदेव पुत्र कल्ला जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

20. विष्णू पुत्र कल्ला जाति जाट
21. संतोष पुत्र कल्ला जाति जाट
22. देवती पत्नि कल्ला जाति जाट
23. महेन्द्र पुत्र टुण्डा जाति जाट
24. मनोहरी पुत्र किशोर मृतक
    24/1 उदल पुत्र मनोहरी जाति जाट
    24/2 नारायण पुत्र मनोहरी जाति जाट
25. ब्रहमानन्द पुत्र रामसहाय जाति जाट
26. परमाल पि0मु0 छंगा जाति जाट
    26/1 श्यामलाल पुत्र मोती पोत्र परमाल
    26/2 हरीराम पुत्र मोती पोत्र परमाल
    26/3 लज्जा पुत्री मोती पोत्र परमाल
    26/4 मुकेश पुत्र मोती पोत्र परमाल
    26/5 सीमा पुत्री मोती पोत्र परमाल
    26/6 सरोज पुत्री मोती पोत्र परमाल
    26/7 राधा पुत्री मोती पोत्र परमाल
27. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर
28. मेघा पत्नी पुरूषोत्तम जाति जाट

    निवासीयान ग्राम बडीका तहसील कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :— श्री राधाबल्लभ भार्मा —अधिवक्ता सायल

श्री गिरधारीलाल— अधिवक्ता गैरसायल सं0 24/1, 24/2

श्री घनश्याम शर्मा - अधिवक्ता गैरसायल सं० 28

आदेश

दिनांक 13.10.2023

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 111,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

182, 185, 183, 118, 226, 207, 211, 43 ग्राम बडीका तहसील कठूमर में स्थित है।उक्त आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायल एंव गैरसायलान के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी को राजी खुशी नहीं बांटेगें और तुझे तेरे हिस्सा की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 4, 5 व 11 ला0 18 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 08.01.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। गैरसायल सं0 2 व 26/3 ला0 26/7 वावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नही आये जिनके विरूद्व दिनांक 06.10.2023 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं0 25 ब्रहमानन्द ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी में गैरसायल सं0 25 का 1/6 हिस्सा है जिस पर किसी तरह का झगडा नही है खसरा नम्बर 207 रकवा 0.49 हे. का 1/6 हिस्सा मैंने मुव0 80000 रूपया में दिनांक 05.08.2021 को श्रीमति मेघा पत्नी पुरुषोत्तम को वेचान कर कब्जा करा दिया है। जिस पर श्रीमति मेघा काविज रहकर काश्त कर रही है। सायल को गैरसायल ने कभी कोई धमकी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

नही दी प्रार्थना पत्र में तथ्य बढा चढाकर अंकित कराये है। सायल को मुझ गैरसायल को पाबन्द कराने का अधिकार नहीं है। गैरसायला सं0 28 मेघा ने भी हाजिर अदालत होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया कि मैंने आराजी खसरा नम्बर 207 का 1/16 हिस्सा गैरसायल सं0 25 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है जिस पर मैं काविज रहकर काश्त कर रही हूँ। मेरे हिस्से पर सायल का किसी तरह का विवाद नहीं हे। सायल ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। गैरसायल सं0 26/1, 26/2, 26/4 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया कि सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त आराजी शामलात खातेदारी की आराजी है इतना स्वीकार है शेष तथ्य गलत है स्वीकार नहीं। गैरसायल सं0 25 ने आराजी खसरा नम्बर 207 का 1/6 हिस्सा गैरसायला सं0 28 को वेचान कर कब्जा कर दिया है जिस पर गैरसायला सं0 28 काविज है। उक्त आराजी पर किसी तरह का विवाद नहीं है सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं हो रही है। गैरसायल सं0 24/1, 24/2 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की दर्ज रेकार्ड आराजी है जिसका सायल एंव गैरसायलान ने अपने अपने हिस्सा के अनुसार घरू वंटवारा कर रखा है। विवादित आराजी पर शामलात में काश्त नहीं हो रही है। विवादित आराजी पर सायल एव गैरसायलान मुतविक घरू वंटवारा अपने अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहे है तो झगडा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को पाबन्द नहीं करा सकता। सायल ने तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है।सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम बडीका की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल, गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की सहमति से वंटी हुई है। खसरा नम्बर 207 रकवा 0.49 हे. का 1/6 हिस्सा गैरसायल सं0 25 ने गैरसायला सं0 28 को वेचान कर कब्जा करा दिया जिस परं गैरसायला सं0 28 काविज रहकर काश्त कर रही है। पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। लेकिन गैरसायलान का कथन है कि विवादित आराजी वंटी हुई है। विवादित आराजी वंटी है या अवट ये तथ्य तो मूल वाद में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य आने पर तय किये जावेगें लेकिन गैरसायलान राजस्व रेकार्ड में विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी के खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें नुकशान व क्षति होना संभव है। सायल को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है सावित करने में असफल रहा है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 09.06.2017 वैकेट किया जाता है।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 13.10.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)